



॥ ओ३म् ॥

85

गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार-249404

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)

Gurukula Kangri (Deemed to be University), Haridwar-249404

(Deemed to be University u/s 3 of UGC Act 1956)

वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.05.2026 की कार्यवाही

दिनांक : 28.05.2026

समय : प्रातः 11.00 बजे

स्थान : गुरुकुल कुरुक्षेत्र, हरियाणा

उपस्थिति :-

1. प्रो० प्रतिभा मेहता लूथरा, कुलपति/सभापति
2. श्री विनय आर्य, प्रायोजित संस्था के प्रतिनिधि/सदस्य
3. श्री विवेक कौशिक, शिक्षा मंत्रालय के नामित प्रतिनिधि द्वारा नामित सदस्य/सदस्य
4. श्री सिद्धार्थ शंकर त्रिपाठी, प्रबन्ध मण्डल द्वारा नामित प्रतिनिधि/सदस्य
5. डा० एस० एम० शर्मा, प्रबन्ध मण्डल के सदस्य/सदस्य
6. प्रो० सत्यदेव निगमालंकार, कुलसचिव/विशेष आमंत्रित सदस्य
7. प्रो० वी० के० सिंह, वित्ताधिकारी/सचिव, वित्त समिति

ईश वन्दना के उपरान्त सभापति महोदया की आज्ञा से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

वित्त समिति की गत बैठक दिनांक 08.05.2026 की कार्यवाही की सम्पुष्टि।

वित्त समिति की गत बैठक दिनांक 08.05.2026 को हुई थी जिसकी Action Taken Report निम्न तालिका के अनुसार की गई कार्यवाही से अवगत कराया जा रहा है :-

दिनांक 08.05.2026 में आहूत हुई वित्त समिति की बैठक में की गई कार्यवाही रिपोर्ट

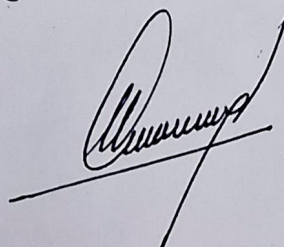
| प्रस्ताव संख्या    | प्रस्ताव                                                                          | बैठक में लिये गये निर्णय                                                                                                                                            | की गई कार्यवाही (Action Taken Report)                                     | Remark |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| प्रस्ताव संख्या-01 | वित्त समिति की गत बैठक दिनांक 07.03.2026 की कार्यवाही की सम्पुष्टि                | बैठक में निर्णय लिया गया था कि वित्त समिति की गत बैठक दिनांक 07.03.2026 की Action Taken Report बनाकर भेजी जाये।                                                     | बैठक के निर्णय के अनुसार Action Taken Report बनाकर भेजी गई।               |        |
| प्रस्ताव संख्या-02 | समविश्वविद्यालय में मान्या कुलपति महोदया हेतु नई कार कय किये जाने के सम्बन्ध में। | मान्या कुलपति महोदया के लिये नई कार कय किये जाने पर काफी चर्चा के उपरान्त सभी सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि नई कार स्व-वित्त पोषित वर्ग के धन से कय कर ली जाये। | इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कार को कय किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। |        |
| प्रस्ताव संख्या-03 | समविश्वविद्यालय में नियमित रूप से कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को गेंहू एडवांस | इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि वर्तमान समय में इस प्रकार से गेंहू कय किये जाने के लिये कोई                                                           | इस प्रस्ताव के अस्वीकृत हो जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।              |        |

*[Signature]*

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | के रूप में रु 40,000 /- की राशि अगाऊ के रूप में दिये जाने पर विचार।                                                                                                                                                                                                                                                          | भी नियम नहीं है, अतः अग्रिम धन दिया जाना उचित नहीं है। अतः सभी सदस्यों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत किया।                                                                                              |                                                                                                                                                                       |
| प्रस्ताव संख्या-04 | वित्तीय वर्ष 2026-2027 में आन्तरिक प्राप्ति से अनुरक्षण वर्ग के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों को दिये जाने वाले बजट के सन्दर्भ में।                                                                                                                                                                            | इस सम्बन्ध में चर्चा करने के उपरान्त निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव पर आगामी वित्त समिति में गत दो वर्षों के सम्पूर्ण विवरण के साथ इस प्रस्ताव को रखा जाये तथा आगामी वित्त समिति ही इस पर निर्णय ले। | इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में आगामी वित्त समिति में इस बजट को रखे जाने के लिये गत दो वर्षों के सम्पूर्ण विवरण के साथ बजट को बनाया गया तथा आगामी वित्त समिति में रखा गया। |
| प्रस्ताव संख्या-05 | वित्तीय वर्ष 2026-2027 में स्व-वित्त पोषित वर्ग के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों को दिये जाने वाले बजट के सन्दर्भ में।                                                                                                                                                                                         | इस सम्बन्ध में चर्चा करने के उपरान्त निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव पर आगामी वित्त समिति में गत दो वर्षों के सम्पूर्ण विवरण के साथ इस प्रस्ताव को रखा जाये तथा आगामी वित्त समिति ही इस पर निर्णय ले। | इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में आगामी वित्त समिति में इस बजट को रखे जाने के लिये गत दो वर्षों के सम्पूर्ण विवरण के साथ बजट को बनाया गया तथा आगामी वित्त समिति में रखा गया। |
| प्रस्ताव संख्या-06 | समविश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारियों को वित्तीय शक्तियां दिये जाने के सम्बन्ध में विचार।<br>1. प्रो० इंचार्ज / ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट आफिसर रु 10,000 /-<br>2. प्रो० इंचार्ज सीनेट हॉल रु 10,000 /-<br>3. मुख्य हॉस्टल वार्डन रु 15,000 /-<br>4. परीक्षा नियंत्रक रु 15,000 /-<br>5. मुख्य प्रोजेक्ट पी.आई. रु 10,000 /- | इस सन्दर्भ में चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव को आगामी वित्तसमिति में प्रस्तुत किया जाये।                                                                                           | इस प्रस्ताव के सन्दर्भ में आगामी वित्त समिति में पुनः इस प्रस्ताव को रखा गया।                                                                                         |

**प्रस्ताव संख्या-01 : समविश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2026-2027 में अनुरक्षण वर्ग के अन्तर्गत विभिन्न विभागों को दिये जाने वाले बजट के सन्दर्भ में।**

अनुरक्षण वर्ग के अन्तर्गत दिये जाने वाले बजट के सम्बन्ध में चर्चा के उपरान्त कहा गया कि गत दो वर्षों का बजट तथा गत दो वर्षों का व्यय तालिका में होना चाहिये इसके अतिरिक्त प्रत्येक विभाग में छात्रों की संख्या तथा शिक्षकों की संख्या भी तालिका में अंकित होनी आवश्यक है ताकि विभाग की आवश्यकता के अनुसार ही बजट का आवंटन किया जा सके। इस सन्दर्भ में यह भी निर्णय लिया गया कि डा० एस०एम० शर्मा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें श्री विनय आर्य, श्री वी. सरदाना, श्री राजीव तलवार सदस्य एवं श्री वी. के. सिंह सयोजक होंगे। गठित समिति इसका पुनः निरीक्षण कर 15 दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, ताकि विभागीय बजट का आवंटन किया जा सके।



प्रस्ताव संख्या-02 : समविश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2026-2027 में स्व-वित्त पोषित वर्ग के अन्तर्गत विभिन्न विभागों को दिये जाने वाले बजट के सन्दर्भ में।

स्व-वित्त पोषित वर्ग के अन्तर्गत दिये जाने वाले बजट के सम्बन्ध में चर्चा के उपरान्त कहा गया कि गत दो वर्षों का बजट तथा गत दो वर्षों का व्यय तालिका में होना चाहिये इसके अतिरिक्त प्रत्येक विभाग में छात्रों की संख्या तथा शिक्षकों की संख्या भी तालिका में अंकित होनी आवश्यक है ताकि विभाग की आवश्यकता के अनुसार ही बजट का आवंटन किया जा सके। इस सन्दर्भ में यह भी निर्णय लिया गया कि डा० एस०एम० शर्मा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें श्री विनय आर्य, श्री वी. सरदाना, श्री राजीव तलवार सदस्य एवं श्री वी. के. सिंह सयोजक होंगे। गठित समिति इसका पुनः निरीक्षण कर 15 दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, ताकि विभागीय बजट का आवंटन किया जा सके।

प्रस्ताव संख्या-03 : समविश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारियों को वित्तीय शक्तियां दिये जाने के सन्दर्भ में विचार।

- |                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| 1. प्रोफेसर इंचार्ज/ट्रेनिंग एवम प्लेसमेंट आफिसर | — 10,000 |
| 2. प्रो० इन्चार्ज -सीनेट हाल                     | — 10,000 |
| 3. मुख्य हास्टल वार्डन                           | — 15,000 |
| 4. परीक्षा नियंत्रक                              | — 15,000 |
| 5. मुख्य प्रोजेक्ट गणवेशक                        | — 10,000 |

इस प्रस्ताव के सन्दर्भ में यह भी अंकित किया गया कि—

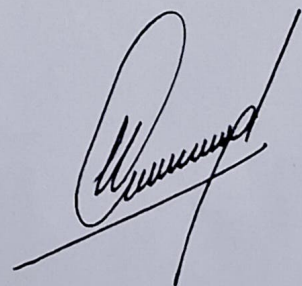
1. उपरोक्त वित्तीय शक्तियों का एक बार उपयोग करने पर अगली वित्तीय शक्तियों का प्रयोग तब ही किया जायेगा जब कि पूर्व बिल पारित हो जाये।
2. इसी प्रकार पूर्व वित्त समिति में पारित वित्तीय शक्तियों के प्रस्ताव पर भी यह नियम लागू होगा।

वित्त समिति में इस प्रस्ताव को रखा गया तथा सभी सदस्यों ने उपरोक्तानुसार इस प्रस्ताव को पारित किया।

प्रस्ताव संख्या-04 : समविश्वविद्यालय में दो नई बस कय किये जाने के सम्बन्ध में।

इस प्रस्ताव के सन्दर्भ में श्री विनय आर्य जी ने कहा कि नई बस कय किये जाने के स्थान पर किराये पर बस को लिया जाना उचित होगा। इस सन्दर्भ में निर्णय लिया गया कि बस को आउटसोर्स के माध्यम से लिये जाने के लिये विभिन्न फर्मों से कोटेशन ली जाये तथा इसी प्रकार जैम के माध्यम से भी कोटेशन प्राप्त करने के उपरान्त ही इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया जायेगा। उपरोक्त कार्यों को 15 दिन के अन्दर पूर्ण करने पर सहमति व्यक्त की गई।

प्रस्ताव संख्या-05 : अन्य प्रस्ताव।

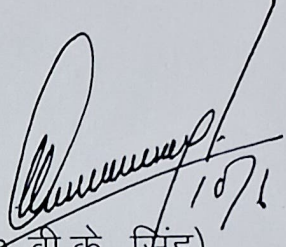


5.1 : समविश्वविद्यालय में बाहर से आने वाले विद्वानों/परीक्षकों/पर्यवेक्षकों को अपनी कार से यात्रा करने पर रू 12/- के स्थान पर रू 16/- प्रतिकिलोमीटर का भुगतान किये जाने की स्वीकृति सभी सदस्यों द्वारा प्रदान की गई।

5.2 : समविश्वविद्यालय में बाहर से आने वाले विद्वानों/परीक्षकों/पर्यवेक्षकों को अपनी कार से यात्रा करने पर टोल-टैक्स अथवा (Annual Fastage based Pass) की प्रति यात्रा व्यय बिल के साथ लगानी आवश्यक होगी, अतः यह प्रस्ताव भी वित्त समिति के सभी सदस्यों द्वारा स्वीकृत किया गया।

5.3 : श्रम आयुक्त द्वारा प्राप्त पत्रों/वसूली नोटिस के सन्दर्भ में निर्णय लिया गया कि इसकी जांच के लिये प्रस्ताव 01 एवं 02 में गठित उक्त प्रकरण में निर्णय लेगी, ताकि गठित समिति का निर्णय वित्त समिति में आ सके।

शान्तिपाठ के साथ बैठक समाप्त की गई।

  
(प्रो० वी.के. सिंह)

वित्ताधिकारी एवं सचिव, वित्त समिति